न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 164/2016

1 श्रीराम पुत्र श्री कुरडाराम जाति माली उम्र 56 साल निवासी लाल सिंह की ढाणी ढाणियां पंचायत नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि माननीय राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2016 कैम्प खिरोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 159/2015 उनवान श्रीराम बनाम राज. सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 व डिक्री जिसके द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया, जो विरूद्ध प्रस्तुत है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 159/2015में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 1137, नये 1413, जिसके भी नये 140 वाके ग्राम ढाणी कानाका का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के अपीलार्थी खातेदार, काश्तकार है। विवादित खसरा नम्बरान की भूमि सम्वत् 2009—2012 की जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में ठिकाना नवलगढ़ की भूमि थी। ठिकाना नवलगढ़ ने एक दान—पत्र मिति असाड़ सुदी 7 सम्वत 2008 वादी के दादा बोयताराम के नाम लिखकर भेजी गई तथा उसी दिन से कब्जा, काश्त अपीलार्थी के दादा, पिता व स्वयं अपीलार्थी उक्त कृषि भूमि पर काबिज, काश्तकार है तथा उक्त कृषि भूमि पर पक्के मकान बनाकर काबिज है उक्त भूमि पर अपीलार्थी व अपीलार्थी के दादा, पिता शांतिपूर्वक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बिना किसी बाधा के कब्जा व काश्त करते आ रहे है। अपीलार्थी इस जमीन को अपनी पीढ़ियों से काश्त करता है, काबिज है। अपीलार्थी से पूर्व इस जमीन को अपीलार्थी के पूर्वज काश्त करते थे, काबिज थे। दिनांक 12.03.2016 को पत्रावली वास्ते बहस नियत थी, इसके पश्चात दिनांक 31.03.2016, 04.04.2016, 12.04.2016, 25.04.2016 को तारीख पेशी नियत थी, दिनांक 25.04.2016 की पत्रावली को दिनांक 09.05.2016 को रखी गई उसके पश्चात अपीलार्थी को व उसके अधिवक्ता को कैम्प की जानकारी नहीं थी कि पत्रावली दिनांक 19.05.2016 को लोक अदालत अभियान में कैम्प पंचायत ढाणी नवलगढ़, कानावाली ढाणी में पेश हुई और पत्रावली को अवलोकन कर खारिज करने का आदेश पारित किया गया है, इस आशय की इबारत आदेशिका दिनांक 19.05.2016 का आवलोकन करने से स्पष्ट होती है तथा अपीलार्थी को दिनांक 26.05.2016 को जानकारी में आया कि दिनांक 19.05.2016 को ही अपीलार्थी का वाद अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को बिना सूचित किये और बिना सुनवाई के ही खारिज फरमा दिया गया। चूंकि पत्रावली में एक फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 का हवाला निर्णय दिनांक 19.05.2016 में है उक्त फर्द मौका रिपोर्ट मंगवाने से पहले ना तो इस बाबत कोई आदेश पारित किया गया है और ना ही अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका दिया गया तथा फर्द रिपोर्ट दिनांक 19.05.2016 के सम्बन्ध में अपीलार्थी को कोई आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के अलावा अन्य किसी का इस जमीन से कभी भी कोई तालुक नहीं रहा है। इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में गलती से और सहवन से तथाकथित रूप से राजस्व कर्मचारियों की गलती से अपीलार्थी के नाम के स्थान पर गैरमुमकिन आबादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलार्थी निर्विवाद रूप से इस जमीन का टिनेन्ट है तथा कदीम से कब्जे, काश्त के आधार पर खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया इससे पहले से ही अपीलार्थी के पूर्वज इस जमीन पर काबिज थे, जो आज दिन तक लगातार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

काबिज चले आ रहे है। कानूनन इस जमीन का राजस्व रिकार्ड अपीलार्थी के पिता और दादा का नाम काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब जो जाना चाहिए था। खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 तक तो अपीलार्थी के पूर्वजों का नाम दर्ज चला था, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल के कारण राजस्व रिकार्ड में आगे अपीलार्थी के पिता व दादा का नाम दर्ज नहीं किया गया, जो राजस्व कर्मचारियों ने अब वर्तमान में गैर मुमकिन आबादी दर्ज कर दी, जबकि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी का नाम दर्ज होना चाहिए था। अपीलार्थी के पिता और दादा ग्रामीण, गरीब मजदूर, अशिक्षित काश्तकार रहे है, जिनको अपनी जमीन के रिकार्ड का ज्ञान नहीं था, तथा आज तक किसी तरह की बाधा इस जमीन के कब्जे ओर काश्त के एवज में अपीलार्थी और उसके पूर्वजों को नहीं आयी, इस कारण से आज तक जमीन नाम करवान की कार्यवाही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वाग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ से मौका फर्द लिया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर का मौका देखा गया। मौका पर खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी में दो छोटे छोटे मंदिर व एक टीन शैड बना हुआ है, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि मौका अनुसार न तो वर्तमान में काश्त है न ही काफी अर्से से काश्त के काम में आ रही है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है वर्तमान में आबादी के रूप में काम आ रही है उक्त भूमि काश्त के काम में नही आ रही है, अतः खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर आबादी में ही दर्ज किया जाना उचित है फर्द मौका तैयार कर पढ़कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये जाना अंकित है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका

संवत 2009 से 2012 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 14 बिश्वा किस्म गैर मु. स्थान, नाम नम्बरदार में रामस्वरूप तथा भूमि अधिकारी राजकीय तथा नाम कृषक के रूप में ब.शमसान भूमि नहीं है स. कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 14 बिश्वा किस्म गैर मु. स्थान तथा खातेदारी में राजकीय दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2020 से 2023 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी तथा नाम कृषक के कॉलम में राजकीय दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी संवत 2024 से 2027, संवत 2028 से 2031 मुताबिक 2020 से 2023 है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2043 आधार वर्ष के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी तथा खातेदारी सिवाय चक और मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी संवत 2047 से 2050, 2051 से 2054, 2055 से 2058, 2059 से 2062 दर्ज रिकार्ड रही है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 में खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि वर्ग गैर मुमकिन स्थान ढाणी बाघसिंहजी जागीरदार कॉलम में मकबूजा ठिकाना दर्ज रिकार्ड है खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 में खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा की भूमि वर्ग गैर मुमकिन स्थान तथा भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार राजकीय दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2021 से 2024, 2025 से 2028 तक इसी प्रकार दर्ज रिकार्ड है संवत 2036 से 2040 में भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि वर्ग गैर मु. आबादी राजकीय मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम ढाणी कानाका वाली संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर की राजकीय खाता संख्या 01 में दर्ज रिकार्ड जिसकी किस्म गेर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उपरोक्त रिकार्ड से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी कभी काश्त होना रिकार्ड से साबित नहीं है तथा ना ही वादी की कब्जे काश्त की होना सिद्ध है। राजकीय रिकार्ड में सदैव से गैर मुमकिन स्थान, गैर मुमकिन आबादी आदि नामों से अंकित होती रही है लेकिन किसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

व्यक्ति विशेष की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में कही पर उल्लेख नहीं हुआ है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में भी उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई काश्त नहीं होना अंकित किया गया है तथा काफी अर्से से काश्त के उपयोग में नहीं आना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाग्रस्त भूमि के संबंध में तहसीलदार नवलगढ़ के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर का मौका देखा गया। मौका पर खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी में दो छोटे छोटे मंदिर व एक टीन शैड बना हुआ है, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि मौका अनुसार न तो वर्तमान में काश्त है न ही काफी अर्से से काश्त के काम में आ रही है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी दर्ज है वर्तमान में आबादी के रूप में काम आ रही है उक्त भूमि काश्त के काम में नही आ रही है, अतः खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर आबादी में ही दर्ज किया जाना उचित है फर्द मौका तैयार कर पढ़कर उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये जाना अंकित है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2009 से 2012 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 14 बिश्वा किस्म गैर मु. स्थान, नाम नम्बरदार में रामस्वरूप तथा भूमि अधिकारी राजकीय तथा नाम कृषक के रूप में ब.शमसान भूमि नहीं है स. कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2016 से 2019 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 14 बिश्वा किस्म गैर मु. स्थान तथा खातेदारी में राजकीय दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2020 से 2023 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी तथा नाम कृषक के कॉलम में राजकीय दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी संवत 2024

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

से 2027, संवत 2028 से 2031 मुताबिक 2020 से 2023 है। नकल जमाबंदी ग्राम नवलगढ़ संवत 2043 आधार वर्ष के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 1413 रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी तथा खातेदारी सिवाय चक और मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है नकल जमाबंदी संवत 2047 से 2050, 2051 से 2054, 2055 से 2058, 2059 से 2062 दर्ज रिकार्ड रही है। इस संबंध में प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2009 से 2012 में खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि वर्ग गैर मुमकिन स्थान ढाणी बाघसिंहजी जागीरदार कॉलम में मकबूजा ठिकाना दर्ज रिकार्ड है खसरा गिरदावरी संवत 2017 से 2020 में खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा की भूमि वर्ग गैर मुमकिन स्थान तथा भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार राजकीय दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी संवत 2021 से 2024, 2025 से 2028 तक इसी प्रकार दर्ज रिकार्ड है संवत 2036 से 2040 में भूमि खसरा नम्बर 1137 रकबा 9 बिश्वा भूमि वर्ग गैर मु. आबादी राजकीय मकबूजा सरकार दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी ग्राम ढाणी कानाका वाली संवत 2067 से 2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 0.11 हैक्टेयर की राजकीय खाता संख्या 01 में दर्ज रिकार्ड जिसकी किस्म गेर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उपरोक्त रिकार्ड से यह साबित है कि वादग्रस्त आराजी कभी काश्त होना रिकार्ड से साबित नहीं है तथा ना ही वादी की कब्जे काश्त की होना सिद्ध है। राजकीय रिकार्ड में सदैव से गैर मुमकिन स्थान, गैर मुमकिन आबादी आदि नामों से अंकित होती रही है लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में कही पर उल्लेख नहीं हुआ है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में भी उक्त भूमि पर वर्तमान में कोई काश्त नहीं होना अंकित किया गया है तथा काफी अर्से से काश्त के उपयोग में नहीं आना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर